न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 03 / 2020

1. ईशब पुत्र धांधू जाति मेव निवासी ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी।
2. सपात पुत्र दीनू जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाडी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
2. इदरीश पुत्र निवाज खां जाति मेव निवासी ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री हारून खां वकील प्रार्थी
श्री मौहम्मद खां वकील अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक :— 08.12.2020

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1850 / 1193 / 0.49 बांके ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी में स्थित है बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर पुराना 1193 / 0.49 का नया खसरा नम्बर 1369 / 0.49 बनाया गया । अप्रार्थी संख्या 2 का नया खसरा नम्बर 1370 / 1.23 हैं। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 लगायत 2065, 2074 से 2074, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल, बन्दोबस्त नक्शा संलग्न है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1850 / 1193 / 0.49 जिसका नया नम्बर 1369 / 0.49 के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जो अपने–अपने हिस्से की आराजी पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1369 / 0.49 नया नम्बर कायम कर नक्शा तैयार कर मिसिल बन्दोवस्त में दर्ज किया गया। हाल मौके पर प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1193 में पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर काबिज है तथा पुराने नक्शे में भी पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर काबिज है। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे में खिलाफ कानून व मौका, मौका कब्जा के प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1369 / 0.49 को अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 1370 के दक्षिण में गलत दर्ज कर दिया जबकि वहां पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 1370 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर हिस्सा पर काबिज है। नये नक्शे में खसरा नम्बर 1369 को पूर्व की भांति व मौके कब्जे के अनुसार पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बन्दोबस्त के समय तैयार किये गये नक्शे को बन्दोबस्त के समय से पूर्व के नक्शे के मुताबिक मौका व कब्जा के अनुसार संशोधित किया जावे। कि नया खसरा नम्बर 1370 के दक्षिण में स्थित प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1369 को दक्षिण दिशा से निरस्त कर पूर्व के नक्शे के मुताबिक व मौका, कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 1370 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1369 को स्थापित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को तंग व परेशान करने बाबत पेश किया है। जो खारिज किया जाना है। अप्रार्थी संख्या 2 अपने कब्जे काश्त आराजी पर काफी अरसे से काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी अपने हिस्से पर काबिज है तथा इसी प्रकार भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा मौका कब्जानुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया है। जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी से रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी का खसरा नम्बर 1850/1193/0.49 है0 बांके ग्राम खल्लूका में स्थित है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1850/1193 का नया खसरा नम्बर 1369/0.49 है0 बनाया गया है। गत जमाबन्दी सम्वत 2062 लगायत 2065 के खाता संख्या 303 खसरा नम्बर 1850/1193/0.49 है0 पर ईशब पुत्र धांधू 1/3 हिस्सा साकिन खल्लूका, सपात पुत्र दीनू 2/3 हिस्सा साकिन भौरी खातेदार व खाता संख्या 336 के खसरा नम्बर 1851/1193/1.24 है0 पर इदरीश पुत्र निवाज खां जाति मेव साकिन खल्लूका गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान चालू जमाबन्दी आधार सम्वत 2074 से 2074 जमाबन्दी सम्वत 2076 वर्ष 2019 के खाता संख्या 428 खसरा नम्बर 1369/0.49 है0 पर ईशब पुत्र धांधू हिस्सा 1/3 साकिन खल्लूका, सपात खां पुत्र दीनू हिस्सा 2/3 कौम मेव साकिन भौरी खातेदार व खाता संख्या 489 के खसरा नम्बर 1370/1.23 है0 पर इदरीश पुत्र निवाज खां हिस्सा पूर्ण जाति मेव साकिन खल्लूका गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बरों के बनाये गये नये खसरा नम्बर 1369/0.49, व 1370/1.23 है0 है। जो नये नक्शे में मौके की स्थिति से भिन्न दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो नये नक्शे बनाये गये है जो गलत बताया गया है। मौके पर जाँच करने पर भिन्न पाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा जो दावा किया गया है उसके अनुसार मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ की गई मौका रिपोर्ट में दर्ज नक्शा के अनुसार काबिज है।

तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट 24.08.2020 पर अप्रार्थी संख्या 2 ने आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट को निरस्त कर तहसीलदार पहाडी से विवादित आराजी की

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मौका कब्जा तलब किये जाने के आदेश फरमावें एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जावें।

प्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार पहाडी से स्वयं मौका निरीक्षण कर दोनो पक्षों की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार कर । मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट दिनांक 01.12.2020 के मुताबिक ग्राम खल्लूका के आराजी खसरा नम्बर 1850/1193/0.49 है व साविक खसरा नम्बर 1850/1193/0.49 हाल खसरा नम्बर 1369/0.49 है0 स्थित है। साविक खसरा नम्बर 1851/1193/1.24 हाल खसरा नम्बर 1370/1.23 दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड साविक खसरा नम्बर 1851/1193/1.24 व हाल खसरा नम्बर 1370/1.23 व साविक खसरा नम्बर 1850/1193/0.49 हाल खसरा नम्बर 1369/0.49 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 के खसरा नम्बर 1370/1.23 इदरीश पुत्र निवाज खां कौम मेव साकिन खल्लूका गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा नम्बर 1369/0.49 पर सपात पुत्र दीनू 2/3 हिस्सा, ईशब पुत्र धांधू 1/3 हिस्सा कौम मेव निवासी खल्लूका खातेदार दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बरों के नये खसरा नम्बर 1369/0.49 व 1370/1.23 बनाये गये है व मौका के कब्जानुसार नहीं बनाये गये है। मौके पर जाँच की गई तो मौका अनुसार रिकॉर्ड व कब्जानुसार पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित कर दर्शाया गया है। जो सही व मौका अनुसार है। मौका रिपोर्ट पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा कराये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 इदरीश के भी सहमति के हस्ताक्षर है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, जबाब अप्रार्थी एवं रिपोर्ट तहसीलदार पहाडी का गहनता से अध्ययन किया। जिससे प्रार्थीगण का कब्जा स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

वर्तमान नक्शा लठ्ठा में बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1369, 1370 की की गई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट व तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट दिनांक 01.12.2020 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1369, 1370 की नवीन तरमीम किया जाना स्वीकार है। तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय के साथ जुज रहेगी। तहसीलदार पहाडी को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08. 12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)